न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 20 / 2024

<u>उनवान</u>

1. श्रीमती सुर्या कुंवर पत्नी श्री शम्भुसिंह, जाति राजपूत, निवासी चंन्दूजी का गडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा।
2. जोवेन्द्र सिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्दूजी का गड़ा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा।

—: वादीगण

बनाम

1. बाबरा पिता राजेंग, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
2. सोमा पिता बाबरा, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
3. मुकेश पिता सोमा, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
4. श्रीमती कचरी पत्नी सोमा, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी जिला बाँसवाड़ा।
5. हकरी पुत्री सोमा, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
6. श्रीमती नाथी पत्नी मोहन, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
7. श्रीमती कंकु पत्नी हकरा, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
8. श्रीमती झामा पत्नी शंकर, जाति भील, निवासी अलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
9. दिलीप पुत्र नानु, जाति मालीवाल, निवासी रुपाखेडी, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा राजस्थान ।
10. हितेश पुत्र दिलीप, जाति मालीवाल, निवासी रुपाखेडी, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
11. पिन्टु पुत्र लक्ष्मण, जाति भील, निवासी आलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
12. कल्पेश पुत्र धुलजी, जाति भील, निवासी आलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
13. धुलजी पुत्र हकरा, जाति भील, निवासी आलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।
14. रमेश पुत्र नानु, जाति भील, निवासी आलोप, आसन, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 05.9.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण ने खाता संख्या 123 (नया) 121 (पुराना) के सर्वे नम्बर 4411 रकबा 0.45 हे0, सर्वे नम्बर 4414 रकबा 1.72 हे0, सर्वे नम्बर 5772/4410 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.40 हे0 वाके ग्राम चिम्बोली, पटवार हल्का आसन, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया एवं क्रय दिनांक से वादीगण उपरोक्त खेत पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं वर्तमान में जमाबंदी राजस्व रेकॉर्ड सवम्त 2075–2070 में वादीगण का नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि के एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिपति होकर वादीगण काबिज है तथा वादीगण नियमानुसार उपरोक्त भूमि में लगान अदा कर रहे है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नही है लेकिन प्रतिवादीगण पिछले एक वर्ष से वादीगण की काश्त में बाधा पहुंचा रहे है एवं लडाई–झगडा कर रहे है तथा वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त करने में बाधार उत्पन्न कर रहे है। माह अक्टूबर 2023 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने वादीगण के खेत सर्वे नम्बर 4414 में मक्का की पकी हुई फसल के भुट्टे में तोड ले गये तथा भुट्टे चोरी कर ले गये जो करीब 15 क्विंटल होते है जो प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे में रखे तथा वादीगण द्वारा कहने पर इन्कार किया और कहां कि यह खेत हमारा है, हमारी मर्जी आये जो करेंगे, तुम्हारा कोई अधिकार नही है। माह नवम्बर 2023 में वादीगण उपरोक्त खेत में ट्रेक्टर से जुताई करने गये तो वादीगण को रोका तथा ट्रेक्टर से जुताई करने नही दिया व प्रतिवादीगण ने कहां कि तुम लोगों ने हमारे खिलाफ चोरी का मुकदमा क्यों करवाया आईन्दा कोई कार्यवाही की तो बलात्कार, एट्रोसिटी के मुकदमें में फंसा देंगे। वादीगण ने बडी मुश्किल से अपने खेत में जुताई की थी। उक्त वादीगण के खेत में से चोरी किये गये भुट्टो के संबंध में थाना लोहारिया में इत्तला की थी, लेकिन कोई कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.12 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

नही हुई तथा थानाधिकारी ने चौकी भीमपुर को कार्यवाही करने हेतु कहां लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। दिनांक 13.12.2023 को खाद, बीज लेकर बुवाई करने व जो खेत खेडने बाकी थे उसकी जुताई करने व जो खेडना उसके लिये 2 ट्रेक्टर लेकर गये जिसका ड्राईवर निर्मल पिता शंकर निवासी चिम्बोली व दूसरा ट्रेक्टर कल्याण सिंह निवासी चन्दूजी का गडा का लेकर गये तथा ट्रेक्टर से जुताई की तथा गेहूं में खाद मिलाकर डाल रहे थे कि, प्रतिवादी सं. 1 बाबरा और प्रतिवादी सं. 4 श्रीमती कचरी तथा प्रतिवादी सं. 6 नाथी, प्रतिवादी सं. 7 कंकु ने अनाधिकृत खेत में प्रवेश किया औश्र सबने कहा कि ट्रेक्टर बाहर निकालो तथा खेत छोडकर चले जाओ नही तो तुम्हे मारकर यही गाड देंगे तथा दूसरे ट्रेक्टर से वादीगण जुताई कर रहे थे तो प्रतिवादी सं. 3 मुकेश, प्रतिवादी सं. 11 पिन्टु, प्रतिवादी सं. 13 धुलजी आकर के ट्रेक्टर के सामने खडे हो गये तथा ट्रेक्टर के ड्राईवर को डराया धमकाया तथा ड्राईवर को नीचे घसिट लिया व मारपीट की जिस पर ड्राईवर अपनी जान बचाकर भागा तथा उपरोक्त प्रतिवादीगण व अन्य लोग ने पत्थरे फेके तथा लाठियों से हमला करने लगे। जिस पर वादीगण ने पुलिस को फोन किया, मौके पर पुलिस आ गई लेकिन प्रतिवादीगण हंगामा करने लगे, पुलिस ज्यादा नही थी, इसलिये उन्हे बाहर निकल जाने को कहां और कहां कि यदि तुम्हारे पास खेत के रेकॉर्ड व खाते की नकले है तो लाओं प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से वादीगण को 2 बोरी गेहूं व 2 बोरी खाद जो बुवाई करने के लिये मिला हुआ था जो करीब रु.5000/– का होने से वादीगण को आर्थिक क्षति हुई है। यह कि, पुलिस द्वारा तहसीलदार साहब के आदेशानुसार मौके की रिपोर्ट करने हेतु गिरदावर, पटवारी ने रिपोर्ट की लेकिन प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नही हुए तथा रेकॉर्ड के अनुसार वादीगण खातेदार और काबिज है। प्रतिवादीगण, वादीगण को प्रतिवर्ष रबी, सियालु की फसल नही करने देते है, आये दिन लडाई झगडा कर रहे है, वादीगण का वहां रहना दुश्वार हो गया है तथा वादीगण जब भी खेती करने जाते है तो लडाई झगडा कर कहते है कि उपरोक्त खेत में हम झोपडा बनायेंगे। प्रतिवादीगण कहते है कि, इस जमीन को हम हडप लेंगे तथा जब भी वादीगण काश्त करने जाते है तो रुकावट पैदा करते है जिससे वादीगण शांतिपूर्ण काश्त नही कर पा रहे है। वादीगण इस वर्ष अभी सियालु की फसल दिनांक 13.12.2023 को खेत में बुवाई करने गये तब प्रतिवादीगण ने झगडा–फसाद किया, वादीगण को उसके खेत में जाने से रुकावट उत्पन्न की तथा वादीगण को कहा कि उक्त खेत में हम खेती करेंगे, तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते, वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना करने पर कहने लगे कि तुम जमीन पर पैर मत रखना वरना तुम्हारी लाश का भी पता नही चलेगा, यह खेत भुल जाओ तथा प्रतिवादीगण कहने लगे कि, हम राजस्व रेकॉर्ड को नही मानते तथा प्रतिवादीगण, वादीगण को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहे है तथा प्रतिवादीगण येन–केन जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में आने से नही रोका गया तो वादीगण को प्रतिवादीगण के कृत्य से मानसिक, शारीरिक आघात पहुंचेगा तथा प्रतिवादीगण, वादीगण को आये दिन बाधा उत्पन्न कर रहे है, जिस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोकना आवश्यक है, जिस कारण वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत है। वाद का व्यवहार कारण तारिख दावा करने के एक वर्ष पूर्व से तथा दिनांक 13.12.2023 को बुवाई करने से तथा वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा नुकसान करने से, प्रतिवादीगण के कृत्य से वादीगण को मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचा तथा प्रतिवादीगण, वादीगण को आये दिन काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे है, जिससे वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर डिक्री जारी फरमावे कि, वाद चरण संख्या–1 में बताई गई वादीगण के 123 (नया) 121 (पुराना) के सर्वे नम्बर 4411 रकबा 0.45 हे0, सर्वे नम्बर 4414 रकबा 1.72 हे0, सर्वे नम्बर 57[illegible] रकबा 0.23 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.40 हे0 वाके ग्राम चिम्बोली, पटवार [illegible] जिला बांसवाड़ा में स्थित उक्त खेत में प्रतिवादीगण, वादीगण के शांतिपूर्ण [illegible] नही पहुंचावे, न उक्त भूमि में प्रवेश कर वादीगण के साथ मारपीट नही करे, न प्रतिवादीगण अपने किसी प्रतिनिधि से ऐसा कार्य करावे, इस हेतु वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] कराने हेतु धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.12 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री जनार्दन पटेल, अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादी अभिभाषक को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

पत्रावली वादी की साक्ष्य में नियत की जाने पर वादी की ओर से साक्ष्य पेश होकर जिरह हेतु प्रतिवादीगण के अभिभाषक की तीन–चार बार आवाज लगवाई गई। प्रतिवादीगण के अभिभाषक के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी की जिरह शून्य रखी जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत होकर बकुलाय की बहस हेतु आवाज लगवाई जाने पर वादी अभिभाषक उपस्थित हुऐ। प्रतिवादीगण के अभिभाषक के उपस्थित नही होने पर वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया जाकर तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात आया कि वादीगण खाता संख्या 123 (नया) 121 (पुराना) के सर्वे नम्बर 4411 रकबा 0.45 हे0, सर्वे नम्बर 4414 रकबा 1.72 हे0, सर्वे नम्बर 5772/4410 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.40 हे0 वाके ग्राम चिम्बोली, पटवार हल्का आसन, तहसील गढ़ी, के रेकार्डेड खातेदार है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का आसन के मौजा चिम्बोली की खाता संख्या 123 (नया) 121 (पुराना) के सर्वे नम्बर 4411 रकबा 0.45 हे0, सर्वे नम्बर 4414 रकबा 1.72 हे0, सर्वे नम्बर 5772/4410 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.40 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का आसन के मौजा चिम्बोली की खाता संख्या 123 (नया) 121 (पुराना) के सर्वे नम्बर 4411 रकबा 0.45 हे0, सर्वे नम्बर 4414 रकबा 1.72 हे0, सर्वे नम्बर 5772/4410 रकबा 0.23 हे0 कुल किता 3 रकबा 2.40 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.9.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.12 15:31:13 IST
Reason: SelfAttested